अनुवाद

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

www.esic.nic.in

संख्या : यू-16/30/534/2015/प्रा.प्र.(अति वि.उप.)-यूटीआइ-आइटीएसएल पार्ट-I/डब्ल्यूयूएल   दिनांक : 04.11.16

सेवा में,

वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त–सभी राज्य।
निदेशक, बीमा चिकित्सा सेवाएं–सभी राज्य।

विषय : **क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना संस्थाओं (अस्पताल, औषधालय आदि) से रेफर किए गए लाभार्थियों के टाइअप/अति विशिष्टता उपचार बिलों की संवीक्षा तथा प्रक्रमण हेतु बिल प्रक्रमण एजेंसी (बीपीए) के रूप में यूटीआइ–आइटीएसएल को नियुक्त करने तथा उसके प्रशिक्षण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर समसंख्यक वेब अपलोड, दिनांक 21.10.2016 के अनुसरण में सूचित किया जाना है कि सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। **शेष राज्यों के निदेशक (बीमा चिकित्सा सेवाएं) के साथ समन्वय में वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त से अनुरोध है कि वे संलग्न अनुसूची अनुसार संबंधित राज्यों में प्रशिक्षण शुरु करें।**

वित्त एवं लेखा के सभी कार्मिक, रोकड़ शाखा और एसएसटी (रेफरल और बिल संबंधी कार्यकलाप) देखने वाले अन्य मुख्य कार्मिकों को यूटीआइ-आइटीएसएल व्यवसायियों द्वारा संचालित की जाने वाले सभी प्रशिक्षणों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना है।

सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने के लिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में रूपांतर या परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए मुख्यालय के एसपीओसी के साथ संप्रेषण करने हेतु युक्तियुक्त आइटी ज्ञान रखने वाले एक नोडल अधिकारी को अभिनिश्चित करें । यह भी अनुरोध है कि ऑनलाइन रेफरल जनरेशन और दस्तावेजों के सत्यापन और भुगतान संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए किसी कार्मिक को अभिनिश्चित करें।

चूंकि नई बिल समाशोधन प्रणाली के अंगीकरण में टाइअप अस्पतालों की भागीदारी अनिवार्य है, यह सुनिश्चित किया जाए कि इन अस्पतालों को पहले से विद्यमान समझौता ज्ञापन में सम्मिलित किए जाने वाले अपेक्षित अनुशेष की सूचना प्राप्त है जिसे टाइअप अस्पतालों और क.रा.बी. निगम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार और हस्ताक्षरित किया जाना है। **यह भी अनुरोध किया जाता है कि क.रा.बी. संस्थाओं (क.रा.बी.नि./क.रा.बी.यो.) के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों को निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे।**

मानक प्रचालन नयाचार (एसओपी) के रूप में आगे के अनुदेश एवं समझौता ज्ञापन का अनुमोदित अनुशेष निकट भविष्य में मुख्यालय से जारी किए जाएंगे।

प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले लोगों की सूची सहित विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरलगी अनुपालन रिपोर्ट dmc-sst.hq@esic.in पर ई-मेल द्वारा और हार्ड कॉपी में मुख्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

संगीता माथुर
4.11.16.

(डॉ. संगीता माथुर)
उप चिकित्सा आयुक्त(एसएसटी)

डा. संगीता माथुर / Dr. SANGEETA MATHUR
उप चिकित्सा आयुक्त
Dy. Medical Commissioner
क.रा.बी.नि.
श्रम मंत्रालय भारत सरकार/Ministry of Labour Govt. of India
पंचदीप भवन सी.आई.जी. मार्ग,नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan CIG Marg, New Delhi-110002

संगलग्नक : प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/चिकित्सा आयुक्तों/बीमा आयुक्त(सू.सं.प्रौ.) के निजी सचिव।
2. उप चिकित्सा आयुक्त(सू.सं.प्रौ.) एवं उप चिकित्सा आयुक्त II
3. निदेशक, वित्त एवं लेखा-V, मुख्यालय।
4. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूटीआइ–आरटीएसएल, नवी मुंबई।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वेबसाइट पर इसे पीडीएफ में अपलोड करें।